PAPERS LAID ON THE TABLE

THIRTEENTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE (1954-55)

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): Sir, I have the honour to lay on the Table a copy of the Thirteenth Report of the Public Accounts Committee (1954-55) on the Appropriation Accounts (Posts and Telegraphs) and (Railways), 1951-52 and 1952-53, Vol. I Report [*Placed in Library. See No* S-287/55.]

MINISTRY OF LABOUR NOTIFICATIONS PUBLISHING (i) AMENDMENTS TO THE MYSORE GOLD MINES REGULATIONS, 1953, AND (ii) THE MINES RULES, 1955.

REVISED BUDGET ESTIMATES FOR 1954-55 AND BUDGET ESTIMATES FOR 1955-56 OF EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

THE DEPUTY MINISTER FOR LABOUR (SHRI ABID ALI): Sir, I lay on the Table a copy of each of the following Notifications under sub-section (7) of section 59 of the Mines Act, 1952:—

(i) Ministry of Labour Notification S R O. No. 525, dated the 28th February, 1955, publishing certain amendments to the Mysore Gold Mines Regulations, 1953 [*Placed in Library. See No.* S-284/55]

(ii) Ministry of Labour Notification S R.O. No. 1421, dated the 2nd July, 1955, publishing the Mines Rules, 1955. [*Placed in Library See No.* S-285/55.]

Sir, I also lay on the Table, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948, a copy of the Revised Budget Estimates for the year 1954-55 and the Budget Estimates for the year 1955-56 of the Employees' State Insurance Corporation. [*Placed in Library. See No* S-289-55]

THE ABDUCTED PERSONS (RECOVERY AND RESTORATION) CONTINUANCE BILL, 1955—*continued*

श्रीमती सावित्री देवी निगम (उत्तर प्रदेश) . अध्यक्ष महोदय, कल एबडक्टेड परसस (रिकवरी ऐण्ड रेस्टोरेशन) कटिनुएंस बिल का समर्थन करते हुये मैं यह कह रही थी कि यह समस्या बडी गम्भीर है और इस पर हम लोगो को बडी सावधानी से विचार करना चाहिये । जहा यह बात सच है कि हमे सेंटीमेंटल ग्राउण्ड्स पर कोई निर्णय नही देना चाहिये वहा यह बात भी सच है कि हमे प्रिजुडिमेज के आधार पर या रयूमर्स के आधार पर कोई ऐसा निर्णय नही देना चाहिये कि यह विभाग बिल्कुल बेकार या निकम्मा है । ऐसे मामलो म हमे शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण रख कर ही विचार करना चाहिये । यह मै जरूर कहना चाहूगी कि मानवीय दृष्टिकोण की सज्ञा कई लोग इसको भी दे सकते है कि रिकवर्ड स्त्रियो के मामले में उनके ऊपर होने वाले जुल्मो की कहानिया बिना सुने हुये, उन माओ से बिना मिले हुये जिनके कि बच्चे या बच्चिया दूसरी ओर रह गई है या और घर के, परिवार के लोग दूसरी ओर रह गये है, हम यो ही बैठे बैठे अपने आप सिफारिश कर बैठे कि यह विभाग बन्द कर दिया जाये । मेरी समझ मे यह मानवीय दृष्टिकोण नही है । जब कभी ऐसी समस्याओ पर हम विचार करे तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम यह महसूस करे कि यदि हम स्वय सफरर होते, यदि हम स्वय आज इस स्थिति मे होते जिसम कि अभागी स्त्रिया है तो हमारी क्या स्थिति होती ? यदि किसी स्त्री का कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई भी दूसरी ओर दूसरे देश मे है जिसकी उसको कोई खबर नही मिलती तो क्या कोई भी स्त्री यह इमैजिन कर सकती है कि वह कभी इस विभाग को बन्द करने की सिफारिश कर सकेगी । मै तो सोचती हू